Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 24-2018]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 12 जून, 2018
(22 ज्येष्ठ, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 32/के॰अ॰ 9/1894/धा॰ 59/2018, दिनांक 11 जून, 2018– हरियाणा बन्दी खुला शिविर नियम, 2018	473–484
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग –III

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 जून, 2018

संख्या का०आ० 32/के०अ० 9/1894/धा० 59/2018.– कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 9), की धारा 59 की उप–धारा (8) तथा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, रिहाई पूर्व बन्दियों में सदाचार, संतोषजनक कार्यपालन तथा अनुशासनात्मक जीवन जीने हेतु प्रोत्साहित करने तथा बन्दियों को सामाजिक समायोजन सिखाने तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य में बन्दी खुला शिविर में बन्दियों को स्थानान्तरित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:–

1. (1) ये नियम हरियाणा बन्दी खुला शिविर नियम, 2018, कहे जा सकते है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 9);

(ख) "अपर महानिदेशक" से अभिप्राय है, अपर महानिदेशक, कारागार, हरियाणा;

(ग) "अपर महानिरीक्षक" से अभिप्राय है, अपर महानिरीक्षक, कारागार, हरियाणा;

(घ) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक, कारागार, हरियाणा;

(ङ) "परिवारिक सदस्य" से अभिप्राय है, बन्दी का पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, विधिक दत्तक संताने, पिता, माता, भाई या बहन तथा इसमें दादा, दादी, पोता तथा पौत्री भी शामिल हैं;

(च) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(छ) "महानिरीक्षक" से अभिप्राय है, महानिरीक्षक, कारागार, हरियाणा;

(ज) "प्रभारी अधिकारी" से अभिप्राय है, बन्दी खुला शिविर में रखे गए बन्दियों के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण, सुरक्षा तथा सुरक्षित अभिरक्षा के प्रयोजनों के लिए महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कोई कारागार अधिकारी, जो उप सहायक अधीक्षक की पदवी से नीचे का न हो;

(झ) "बन्दी खुला शिविर" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में सरकार के आदेशों के अधीन बन्दियों को अस्थाई या स्थाई रूप से रखे जाने हेतु उपयोग किये जाने वाला कोई स्थान;

(ञ) "नियमित कारागार" से अभिप्राय है, बन्दी खुला शिविर की अधिकारिता रखने वाला कारागार तथा जहां बन्दी को बन्दी खुला शिविर में भेजने से पूर्व स्थानांतरित किया जाएगा;

(ट) "अधीक्षक" से अभिप्राय है, नियमित कारागार का अधीक्षक।

3. (1) सरकार, महानिदेशक की सिफारशों पर, सम्बन्धित अधीक्षक के सामान्य निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन नियमित कारागार के आसपास यथा आवश्यक उचित संख्या में बन्दी खुला शिविर स्थापित कर सकती है; बन्दी खुला शिविर।

(2) बन्दियों के आवास के लिए बिजली, जल तथा अन्य आधारभुत सुख–सुविधाओं सहित आवास उपलब्ध करवाये जाएंगे तथा बन्दी खुला शिविर की अपेक्षाओं के अनुसार उचित संख्या में पारिवारिक आवास भी उपलब्ध करवाए जाऐंगे;

(3) बन्दी खुला शिविर में भेजा जाने वाला बन्दी, अपनी आमदनी में से अपने स्वंय के साथ–साथ अपने परिवार के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य दैनिक दिनचर्या की आवश्यकताओं की व्यवस्था करेगा।

(4) बन्दी अपने बैंक खातों का स्वयं द्वारा या आपने पारिवारिक सदस्य के माध्यम से अनुरक्षण करेगा तथा उसके द्वारा सृजित या उपार्जित आय प्रतिधारण करेगा।

(5) यदि बन्दी खुला शिविर में भेजे गये किसी बन्दी को कोई कार्य करने के लिए अधीक्षक द्वारा नियोजित किया जाता है, तो उसे सरकार द्वारा, समय–समय पर यथा नियत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(6) बन्दी खुला शिविर में भेजा गया बन्दी अपने परिवारिक सदस्यों को रखेगा तथा किसी भी बन्दी, जिसके साथ उसका कोई पारिवारिक सदस्य रहने के लिए तैयार नहीं है, को शिविर में नहीं भेजा जाएगा।

(7) बन्दी खुला शिविर में रहने वाला बन्दी तथा उसका परिवारिक सदस्य अनुशासन, सफाई तथा उचित स्वच्छता बनाए रखेगा।

अधीक्षक के कृत्य तथा कर्तव्य।

4. (1) अधीक्षक बन्दी खुला शिविर में भेजे गये बन्दी को रोजगार प्राप्त करने में सहायता करेगा।

(2) वह सुनिश्चित करेगा कि बन्दी खुला शिविर में रह रहे बन्दी को उसको नियोक्ता द्वारा, सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा नियत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

(3) वह बन्दी खुला शिविर में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुदेश जारी कर सकता है तथा यथोचित शर्तें अधिशोधित कर सकता है। ऐसे अनुदेश या शर्तें जो लिखित में होंगी तथा उनकी एक प्रति सभी बन्दियों को दी जाएगी।

बन्दी खुला शिविर में भेजे जाने हेतु अपात्रता।

5. कोई भी बन्दी, बन्दी खुला शिविर में भेजने के लिए पात्र नही होगा जो :–

(i) हरियाणा सदाचार बन्दी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम (1988 का 28) मे यथा परिभाषित कोई "कट्टर बन्दी" है,

(ii) बन्दी खुला शिविर में भेजने की तिथि को तीस वर्ष की आयु से कम है ;

(iii) कार्य करने के लिए चिकित्सीय रूप से योग्य नही है ;

(iv) विचाराधीन बन्दी या दीवानी बन्दी या नजरबन्द बन्दी है ;

(v) एक से अधिक मामलों में आरोपित या सिद्धदोष है ;

(vi) बन्दी खुला शिविर में भेजने की तिथि को जिसका दो वर्ष से अधिक का अवसित दण्डादेश है;

(vii) अन्तिम तीन वर्षों में किसी कारागार अपराध के लिए गुरू दण्ड से दण्डित किया गया है ;

(viii) हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी नहीं है और हरियाणा राज्य में उसके परिवारिक सदस्य स्थाई रूप से निवास नही करते है ;

(ix) अन्तिम छह मास में कोई मुलाकात नहीं हुई है;

(x) अन्तिम पांच वर्ष में कोई पैरोल / फरलो नहीं ली है ;

(xi) किसी भी समय कारागार, पुलिस अभिरक्षा या अन्य किसी वैध अभिरक्षा से भागा है या भागने का प्रयास किया है ;

(xii) यदि बन्दी का कोई परिवार नहीं है ;

(xiii) हरियाणा राज्य से बाहर की अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा या किसी सेना न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया है ;

(xiv) राजनीतिक आंदोलन या राजनीतिक गतिविधि इत्यादि के सम्बन्ध में दोषसिद्ध किया गया है ;

(xv) आंतकवादी तथा विध्वंशकारी गतिविधियों, अनैतिक दुर्व्यापार, स्वापक दवाओं तथा मनः प्रभाव पदार्थ की सप्लाई या तस्करी से सम्बन्धित मामलों में या राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली किसी गतिविधी के लिए दोषसिद्ध किया गया है ;

(xvi) किसी संक्रमित या छूत से फलने वाली बीमारी से पीड़ित है या मानसिक रूप से बीमार है ;

(xvii) अधीक्षक की राय में बन्दी खुला शिविर में भेजने के लिए अयोग्य है।

बन्दी खुला शिविर में भेजने के लिए पात्रता।

6. बन्दी, बन्दी खुला शिविर में भेजने के लिए विचार करने हेतु पात्र हो सकता है यदि वह :–

(i) उपरोक्त नियम 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रवंग के भीतर नहीं आता है ;

(ii) माफी सहित अपनी मूल सजा का कम से कम तीन चौथाई सजा पुरी कर ली है ;

(iii) कारागार कारखाना, बाहरी पंजा या किन्ही अन्य कारागार सेवाओं में उसको दिये गये कार्य का संतोषजनक रूप से नियमित रूप में निष्पादन कर रहा है ;

(iv) अन्तिम तीन वर्ष के दौरान किसी बड़े अपराध के लिए दण्डित नहीं किया है ;

7. (1) अधीक्षक, महानिदेशक को प्ररूप 1 के रूप में संलग्न प्ररूप में नामावली में अपनी सिफारिशों सहित सम्बद्ध कारागार के अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी, उपाधीक्षक (अनुरक्षण) से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा यथा चयनित इच्छुक तथा पात्र बन्दी को बन्दी खुला शिविर में भेजने के लिए उसका आवेदन भेजेगा । बन्दी को खुला शिविर में भेजने के लिए सिफारिश।

(2) खुला बन्दी खुला शिविर में बन्दी के साथ रहने वाला इच्छुक पारिवारिक सदस्य नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित शपथ पत्र के रूप में इस आशय का वचन देगा कि वह बन्दी खुला शिविर में अनुशासन तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रभारी अधिकारी/अधीक्षक द्वारा दिये गये आदेशों, निर्देशों/अनुदेशों की अनुपालना करेगा।

8. (1) महानिदेशक, सूची से बन्दी खुला शिविर में भेजे जाने वाले पात्र बन्दियों के नामों की सिफारिश करने के लिए अधीक्षक मुख्यालय, अपर महानिरीक्षक, महानिरीक्षक या अपर महानिदेशक, कारागार (यदि पदस्थ हो) अथवा किसी अन्य अधिकारी से मिल कर बनने वाली तीन सदस्यों की जांच समिति का गठन करेगा और महानिदेशक किसी भी बन्दी खुला शिविर में किसी बन्दी को भेज सकता है और किसी भी समय किसी बन्दी को एक से दूसरे बन्दी खुला शिविर में स्थानान्तरित कर सकता है। बन्दियों को बन्दी खुला शिविर में भेजने के लिए आदेश।

(2) महानिदेशक, समय-समय पर, आवासों की उपलब्धता के अध्यधीन जाँच समिति की सिफारिशों का परीक्षण करने के बाद, बन्दी खुला शिविर में पात्र बन्दियों को भेजने के आदेश करेगा।

(3) ऐसे बन्दी को अधिमान दिया जायेगा, जो शिल्पकार, नाई, दरजी, दस्तकार, चिकित्सक, पराचिकित्सकीय, सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायी इत्यादि हो या जिसे किसी भी क्षेत्र में कौशल या विशेषज्ञता प्राप्त हो तथा पुराने बन्दियों को नए बन्दियों पर अधिमान दिया जाएगा।

(4) बन्दी खुला शिविर में प्रवेश के लिए चयनित प्रत्येक बन्दी पैरोल/फरलो पर अस्थाई रिहाई में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर प्रतिभूति बन्ध-पत्र प्रस्तुत करेगा। नियमित कारागार के अधीक्षक द्वारा बन्ध-पत्र स्वीकार किया जाएगा।

9. बन्दी नीचे विनिर्दिष्ट स्वरूप के एक तथा अधिक कार्य करते हुए अपनी आजीविका अर्जित करेगा, अर्थात्:- बन्दी खुला शिविर में कार्य।

(क) कृषि ;

(ख) डेरी उद्योग ;

(ग) विनिमार्ण सम्बन्धी कार्यकलाप या औद्योगिक कार्य ;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी या सेवा सैक्टर ;

(ङ.) सनिर्माण या मरम्मत कार्य इत्यादि ;

(च) कारागार विभाग द्वारा खोले गए बाह्य कैंटीन प्रबन्धन तथा दुकानात ;

(छ) कोई अन्य कार्य, जो अधीक्षक या महानिदेशक द्वारा, समय-समय पर, अनुमत किया जाए।

10. (1) यदि किसी बन्दी के पास बन्दी खुला शिविर में करने के लिए कोई कार्य नहीं है, तो उसे अधीक्षक द्वारा पन्द्रह किलोमीटर के घेरे में बन्दी खुला शिविर के बाहर कार्य करने के लिए अनुमत किया जा सकता है : परन्तु ऐसा बन्दी स्थान, कार्य के स्वरूप के बारे सम्पूर्ण ब्यौरे तथा नियोक्ता इत्यादि के ब्यौरे प्रभारी अधिकारी को देगा। बन्दी खुला शिविर के बाहर कार्य।

(2) कारागार प्राधिकारी किसी भी समय पर बन्दी खुला शिविर के बाहर कार्य करने के लिए अनुमत बन्दी के कार्यस्थल का दौरा कर सकते हैं। यदि बन्दी विनिर्दिष्ट कार्यस्थल पर नहीं पाया जाता है, तो उसे बन्दी खुला शिविर से नियमित कारागार में स्थानातंरित किया जाएगा और उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी मानो उसने हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब जेल निर्देशिका के अनुसार कोई गुरू कारागार अपराध किया है।

11. महानिदेशक ऐसे बन्दी खुला शिविर से बाहर आयोजित मेलों इत्यादि में कारागार उत्पादों के विपणन में भाग लेने के लिए बन्दी खुला शिविर के बन्दियों को अनुमत कर सकता है। विपणन के लिए स्वीकृति।

12. किसी बन्दी के लिए कार्य घन्टे नियमित कारागार के लॉकआउट तथा लॉकअप समय के मध्य होंगे। कार्य घन्टे।

13. (1) किसी बन्दी की आमदनी उसके स्वयं और उसके पारिवारिक सदस्य के भरणपोषण के लिए उपयोग की जाएगी/बन्दी भोजन, वस्त्रों के सम्बंध में स्वयं अपने आप भरण-पोषण करेगा। वह आश्रय के लिए यथा विनिर्दिष्ट बिजली, जल, सीवरेज प्रभारों का भुगतान करेगा। बन्दी की आमदनी।

(2) बन्दी, अपनी आमदनी में से बन्दी खुला शिविर के रख–रखाव के लिए महानिदेशक द्वारा यथा नियत प्रशासकीय प्रभारों का भुगतान करेगा। पृथक अनुरक्षण निधि का सृजन किया जाएगा और बन्दी खुला शिविर के बन्दियों द्वारा उसका रख–रखाव किया जाएगा।

(3) सरकारी संगठनों और पंजीकृत गैर–सरकारी संगठनों को बन्दी खुला शिविर में भेजे गए किसी बन्दी को कार्य उपलब्ध करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

परिवारिक सदस्य द्वारा अवचार।

14. किसी बन्दी के पारिवारिक सदस्य द्वारा किसी अवचार की दशा में, अधीक्षक, प्रभारी अधिकारी से सिफारिश प्राप्त करने के बाद बन्दी खुला शिविर से पारिवारिक सदस्य को वापिस लौटाएगा। सम्बन्धित बन्दी को भी तुरन्त बन्दी खुला शिविर से नियमित कारागार में भेजा जाएगा।

आमोद–प्रमोद की सुविधाएं।

15. (1) किसी भी बन्दी को बन्दी खुला शिविर में उसकी अपनी लागत पर टेलीविजन सैट, गेम्स और अन्य आमोद–प्रमोद की सुविधाएँ रखने के लिए अनुमत किया जा सकता है।

(2) अधीक्षक बन्दी खुला शिविर में छह वर्ष की आयु से कम के बच्चों के लिए क्रैच की स्थापना करेगा।

बन्दी खुला शिविर का आन्तरिक प्रबन्धन।

16. (1) महानिदेशक कार्यस्थल की अवस्थिति, बन्दी द्वारा किये जाने वाले कार्य और सुरक्षा इत्यादि के सम्बन्ध में बन्दी खुला शिविर के आन्तरिक प्रबन्धन के लिए सामान्य अनुदेश जारी कर सकता है। इन अनुदेशों में बन्दियों और उसके पारिवारिक सदस्य द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानक अन्तर्विष्ट होंगे।

(2) बन्दी नियमित कारागार के लॉकअप और लॉकआउट के लिए नियमत समय पर प्रत्येक प्रातः काल और सांयकाल हाजिरी में उपस्थित होंगे।

(3) अधीक्षक हाजिरी के समय पर प्रत्येक सप्ताह बन्दी खुला शिविर का दौरा करेगा और निवासियों का साक्षात्कार लेगा।

(4) प्रभारी अधिकारी प्रतिदिन हाजिरी समय पर बन्दी खुला शिविर का दौरा करेगा और अनुशासन तथा व्यवस्था बनाऐ रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

बन्दी पंचायत।

17. (1) बन्दी पचांयत, बन्दियों में से निर्वाचित पाँच सदस्यों से गठित की जाएगी। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य, स्वयं में से सरपंच का निर्वाचन करेंगे। प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल को पंचायत का निर्वाचन किया जाएगा।

(2) बन्दी पंचायत को बन्दियों के साथ–साथ उनके पारिवारिक सदस्यों की छोटी भूल चूक या अवचार के मामलों का निपटान करने के लिए सशक्त किया जाएगा। यह पाँच सौ रूपये तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकती है या व्यतिक्रमी को सामान्य उपयोगिता का श्रम करने के लिए आदेश कर सकती है या ऐसे व्यतिक्रमी को उपलब्ध सुविधाओं में कमी कर सकती है और ऐसे दण्ड केवल प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन पर प्रभावी होंगे।

बन्दियों को बन्दी खुला शिविर से नियमित कारागार में भेजना।

18. कोई बन्दी, जिसका आचरण प्रभारी अधिकारी की राय में असंतोषजनक है या वह अपनी आजीविका अर्जित करनें में असफल रहता है या वह किसी अन्य कारण से अवांछनीय पाया जाता है तो ऐसे बन्दी की रिपोर्ट अधीक्षक को भेजी जाएगी और प्रभारी अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट/सिफारिश के आधार पर, अधीक्षक, महानिदेशक को सूचना देते हुए नियमित कारागार में बन्दी को वापिस भेजेगा और भविष्य में ऐसे बन्दी को बन्दी खुला शिविर में नहीं भेजा जाएगा।

माफी।

19. बन्दी खुला शिविर में भेजा गया बन्दी अपने अच्छे आचरण, अनुशासन और कार्य के लिए प्रति मास छह दिन के पैमाने पर सामान्य माफी का हकदार होगा और नियमों के अनुसार सरकारी माफी या अधीक्षक तथा महानिदेशक द्वारा समय–समय पर प्रदान की गई विशेष माफियों के लिए भी हकदार होगा। बन्दी को पूर्ववृत टिकट तथा अन्य दस्तावेजों को नियमित कारागार में सुरक्षित और अनुरक्षित किया जाएगा

पैरोल।

20. बन्दी, खुला शिविर में बन्दी, उसकी पात्रता के अध्यधीन, नियमित कारागार के अन्य बन्दियों के सममूल्य पैरोल या फरलो का हकदार होगा। बन्दी की रिहाई की औपचारिकताएं पूरी करने के अनुक्रम में उसकी रिहाई की तिथि से एक दिन पूर्व उसे नियमित कारागार में भेजा जाएगा। उसकी पैरोल तथा फरलो इत्यादि पर रिहाई तथा अभ्यर्पण, नियमित कारागार से सचांलित तथा नियंत्रित की जायेगी।

बन्दी की रिहाई।

21. किसी बन्दी की रिहाई की तिथि की गणना नियमित कारागार प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी तथा तदनुसार ऐसे बन्दी को उसकी रिहाई की तिथि से एक सप्ताह पूर्व नियमित कारागार में भेजा जाएगा।

सुरक्षा।

22. (1) बन्दी खुला शिविर में सुरक्षा के प्रयोजनों हेतु, ऐसे अपेक्षित वार्डर गार्ड नियुक्त किए जाएंगे, जैसा अधीक्षक द्वारा आवश्यक समझा जाए। सी. सी. टी. वी. कैमरे महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए जाएंगे। सुरक्षा अमले की डयूटी त्रैमासिक आधार पर बदली जाएगी। सुरक्षा अमला प्रभारी अधिकारी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन डयूटी करेगा, जो बन्दियों के उचित अनुशासन, नियमित उपस्थिति और गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करेगा।

(2) बन्दी खुला शिविर में मुलाकातियों का प्रवेश विनियमित किया जाएगा और सुरक्षा कारणों और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रवेश करने से इन्कार किया जा सकता है। मुलाकाती को साक्षात्कार के लिए अनुमत करने से पूर्व उसकी तलाशी ली जाएगी और उसका प्रत्ययों की जाँच की जाएगी।

साक्षात्कार एवं मुलाकाती रजिस्टर सुरक्षा अमले द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा और साक्षात्कार के लिए नियमित कारागार को यथा लागू नियमों की पालना की जाएगी।

(3) बन्दी खुला शिविर के सभी बन्दियों और उनके पारिवारिक सदस्यों की सूची सम्पूर्ण ब्यौरों सहित अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाना को भेजी जाएगी।

(4) बन्दी खुला शिविर के प्रत्येक बन्दी और उसके पारिवारिक सदस्यों को अधीक्षक द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा और प्रत्येक बन्दी और उसके पारिवारिक सदस्य को हर समय पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।

बन्दी खुला शिविर से भगौड़ा होना।

23. (1) बन्दी खुला शिविर में भेजे गए बन्दी को विधिपूर्ण अभिरक्षा में समझा जाएगा और बन्दी खुला शिविर से भगौड़ा होना नियमित कारागार से भगौड़ा होना समझा जाएगा और नियमित कारागार में यथा लागू किसी विधिक कार्रवाई के अध्यधीन होगा।

(2) अधीक्षक बन्दी खुला शिविर से भगौड़ा होने की तिथि तक भगौड़े बन्दी द्वारा अर्जित सभी माफियों को समपहरण करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(3) अधीक्षक बन्दी खुला शिविर में भेजते समय बन्दी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिभूति बन्ध–पत्र का भी समपहरण करेगा। यदि प्रतिभूति राशि की वसूली नहीं की गई है, तो वह मामला सम्बद्ध जिला के जिला मजिस्ट्रेट को भू–राजस्व के बकायों के रूप में उसकी वसूली के लिए भेजेगा।

चिकित्सीय सुविधाएँ।

24. बन्दी खुला शिविर में औषधालय स्थापित किया जाएगा। नियमित कारागार में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी सप्ताह में दो बार बन्दी खुला शिविर का दौरा करेगा और जरूरतमन्द बन्दियों और उसके पारिवारिक सदस्यों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाएगा। बन्दी नियमित कारागार के बन्दी के सममूल्य दवाईयां और अन्य चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। चिकित्सीय आपातकाल की दशा में, बीमार बन्दी को नियमित कारागार अस्पताल या सरकारी अस्पताल में भेजा जाएगा और अन्तरंग रोगी उपचार हेतु, बन्दी को स्वस्थ होने तक नियमित कारागार में स्थानांतरित किया जाएगा।

निरीक्षण।

25. अपर महानिरीक्षक, महानिरीक्षक या अपर महानिदेशक, कारागार, कलैण्डर वर्ष की प्रत्येक तिमाही पर बन्दी खुला शिविर का निरीक्षण करेगा और उसकी रिपोर्ट महानिदेशक को भेजेगा। महानिदेशक कलैण्डर वर्ष में कम से कम एक बार बन्दी खुला शिविर का निरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगा।

प्ररूप I

(देखिए नियम 7(1))

नियमित जेल से बन्दी खुला शिविर में बन्दी को स्थानांतरण करने के लिए बन्दी नामावली प्ररूपः—

जेल रजिस्टर संख्या और श्रेणी	सिद्धदोषी का नाम तथा आयु	पिता / पति का नाम, जाति, पूर्व व्यवसाय	निवास पता	न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा सिद्धदोष किया है और दंडादेश की तिथि	अपराध और अवधि और दंडादेश का स्वरूप	विचाराधीन अवधि, माफी और प्राप्त की गई पैरोल दर्शाते हुए भोगने वाले दंडादेश के ब्यौरे			जेल में आचरण	अधीक्षक जेल की सिफारिश	महानिदेशक कारागार की सिफारिश
						वर्ष	मास	दिन			

नोटः अन्य आपराधिक अपराधों (यदि कोई हों) के ब्यौरे

अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी उपाधीक्षक (अनुरक्षण)

डॉ० एस० एस० प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 11th June, 2018

No. S.O.-32/C.A.9/1894/S.59/2018.— In exercise of the powers conferred by sub-section(8) and (12) of section 59 of the Prisons Act,1894 (Central Act 9 of 1894), the Governor of Haryana hereby makes the following rules for shifting prisoners to Open Air Camps in the State of Haryana with a view to encourage good conduct, satisfactory performance of work and a life of self-discipline among the prisoners and to provide prisoners with a pre-release opportunity to learn social adjustment and economic self dependence, namely:-

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Prisoners Open Air Camp Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) "Act" means the Prisons Act, 1894 (Central Act 9 of 1894);

(b) "Additional Director General" means the Additional Director General, Prisons, Haryana;

(c) "Additional Inspector General" means the Additional Inspector General, Prisons, Haryana;

(d) "Director General" means Director General, Prisons, Haryana;

(e) "family member" means prisoner's husband, wife, son, daughter, legally adopted child, father, mother, brother or sister and includes the grandfather, grandmother, grandson and granddaughter;

(f) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(g) "Inspector General" means Inspector General, Prisons, Haryana;

(h) "Officer-in-Charge" means any prison officer not below the rank of Sub Assistant Superintendent, to be nominated by the Director General, for the purpose of overall supervision, security and safe custody of the prisoners kept in Open Air Camp;

(i) "Open Air Camp" means any place used for the detention of prisoners, temporarily or permanently, under the orders of the Government in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the Act;

(j) "regular prison" means a prison having jurisdiction over the Open Air Camp and where a prisoner shall be transferred before shifting to Open Air Camp;

(k) "Superintendent" means the Superintendent of the regular prison.

Open Air Camp.

3. (1) The Government on the recommendations of the Director General, may establish as many Open Air Camp, as necessary in the vicinity of the regular prison under general directions and control of the respective Superintendents.

(2) The accommodation including electricity, water supply and other basic amenities for housing the prisoners shall be made available and suitable number of family accommodations shall also be provided as per the requirement in the Open Air Camp.

(3) A prisoner shifted to the Open Air Camp shall arrange food, clothing and other requirements of daily routine for himself as well as for his family out of his own earnings.

(4) The prisoner shall maintain his bank account himself or through his family member and shall retain the income generated or earned by him.

(5) If a prisoner shifted to Open Air Camp is employed by the Superintendent to perform any work, he shall be paid such minimum wages, as fixed by the Government, from time to time.

(6) A prisoner shifted to Open Air Camp shall keep his family member and no prisoner shall be shifted to the Open Air Camp with whom a family member is not ready to reside.

(7) A prisoner and his family member living in the Open Air Camp shall maintain discipline, cleanliness and proper hygiene.

Functions and duties of Superintendent.

4. (1) The Superintendent shall help the prisoner shifted to the Open Air Camp in processing his work.

(2) He shall ensure that the prisoner living in the Open Air Camp is being paid such minimum wages by his employer, as fixed by the Government, from time to time.

(3) He may issue instructions or impose reasonable conditions for maintenance of discipline and order in the Open Air Camp. Such instructions or conditions shall be in writing and all the prisoners shall be given a copy of the same.

Ineligibility for shifting to Open Air Camp.

5. A prisoner shall not be eligible for shifting to the Open Air Camp who,-

(i) is a "hardcore prisoner" as defined in the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1988 (28 of 1988);

(ii) is below the age of thirty years on the date of shifting to the Open Air Camp;

(iii) is not medically fit to do work;

(iv) is an under trial prisoner, detune or a civil prisoner;

(v) is the charge sheeted or convicted in more than one case;

(vi) have unexpired sentence of not less than two years on the date of shifting to the Open Air Camp;

(vii) is punished for a major prison offence in the last three years;

(viii) is not a permanent resident or whose family member does not have a permanent residence in the State of Haryana;

(ix) has no interview (Mulakat) in the last six months.

(x) has not availed any parole/ furlough in the last five years;

(xi) has escaped or attempted to escape from prison, police custody or any other lawful custody at any point of time;

(xii) do not have a family;

(xiii) is convicted by a court having jurisdiction outside the State of Haryana or by a Military Court;

(xiv) is convicted in connection with political agitation or political movement etc;

(xv) is convicted in cases relating to terrorist and disruptive activities, immoral trafficking, supply or smuggling of narcotic drugs and psychotropic substances or for any activities jeopardizing the security of the State;

(xvi) is suffering from any infectious or contagious disease or is mentally sick; or

(xvii) in the opinion of the Superintendent is unfit to be shifted to the Open Air Camp.

Eligibility for shifting to Open Air Camp.

6. A prisoner may be eligible for consideration for shifting to the Open Air Camp, if, he-

(i) does not fall within any of the categories specified in Rule 5 above;

(ii) has served at least three fourth of his substantive sentence including remission;

(iii) has been regularly performing his assigned task in the Prison factory/ outside gang or any other prison Services satisfactorily; and

(iv) has not been punished for any major offence in the last three years.

Recommendation for shifting prisoners to Open Air Camp.

7. (1) The Superintendent shall forward the application of prisoner desirous and eligible for shifting to the Open Air Camp, as selected by a committee consisting of Superintendent, Medical Officer, Deputy Superintendent (Maintenance) of the concerned prison, to the Director General, with their recommendations in the nominal roll in the form annexed as Form I.

(2) A family member desirous of living in the Open Air Camp along with prisoner shall give an undertaking in shape of an affidavit, duly attested by a Notary Public or a Magistrate of Ist Class, to the effect that he shall follow orders/directions /instructions given by the Officer-in-Charge/Superintendent for maintenance of discipline and order in the Open Air Camp.

8. (1) The Director General shall constitute a screening committee of three members consisting Superintendent Head Quarter, Addl. Inspector General, Inspector General or Additional Director General of Prisons (if posted), or any other officer to recommend the names of eligible prisoners to be shifted to the Open Air Camp from the list and the Director General may shift a prisoner to any of the Open Air Camp to and may at any time transfer any prisoner from one Open Air Camp to another. Orders for shifting prisoner to Open Air Camp.

(2) The Director General, after examining the recommendations of the Screening Committee, subject to availability of accommodation, from time to time, shall order the shifting of eligible prisoners to the Open Air Camp.

(3) Preference shall be given to those prisoner who is artisan, barber, tailor, craftsman, doctor, paramedics, I.T professional etc; or have some skill or specialization in any field and the old prisoners shall be given preference over young prisoners.

(4) Every prisoner selected for admission to the Open Air Camp, shall furnish a surety bond equal to the amount, as specified in the temporary release on parole/furlough etc. The bond shall be accepted by the Superintendent of Regular prison.

9. A prisoner shall earn their livelihood by undertaking one or more work of the nature specified below, namely:- Work in Open Air Camp.

(a) agriculture;

(b) dairy farming;

(c) manufacturing activities or industrial task;

(d) information technology or service sector;

(e) construction or repair work etc;

(f) outside canteen management or shops opened by the prisons department; or

(g) any other work, as permitted by the Superintendent or Director General, from time to time.

10. (1) If a prisoner has no work to perform in the Open Air Camp, he may be allowed to work outside the Open Air Camp within a radius of 15 kms by the Superintendent: Work outside Open Air Camp.

Provided that such prisoner shall give complete details about the place of work and particulars of the employer etc. to the Officer-in-Charge.

(2) The prison authorities may at any time visit the place of work of prisoner allowed to work outside the Open Air Camp. If the prisoner is not found at the specified place of work, he shall be transferred from Open Air Camp to the regular prison and shall be proceeded against as if he has committed a major prison offence as per the Punjab Jail Manual as applicable to the State of Haryana.

11. The Director General may permit the prisoners of the Open Air Camp to participate in marketing the prison products in the fairs, etc., held outside such Open Air Camp. Permission for Marketing.

12. The working hours for a prisoner shall be between the lockout and lockup timings of the regular prison. Working Hours.

13. (1) The earnings of a prisoner shall be utilized for maintaining himself and his family member. A prisoner shall maintain himself on his own in respect of food, clothing. He shall have to pay electricity, water and sewerage charges as specified for the shelter. Earning of prisoner.

(2) A prisoner shall pay administrative charges out of his earnings as fixed by the Director General, for the maintenance of Open Air Camp. A separate maintenance fund shall be created and shall be maintained by the prisoners of the Open Air Camp.

(3) The Government organizations and registered Non Governmental Organizations shall be encouraged to provide work to a prisoner shifted to the Open Air Camp.

14. In case of a misconduct by a family member of a prisoner, the Superintendent shall repatriate the family member from the Open Air Camp after getting the recommendation from the Officer-in-Charge. The prisoner concerned shall also be shifted immediately from the Open Air Camp to the regular prison. Misconduct by family member.

Recreational facilities.

15. (1) A prisoner may be allowed to keep a television set, games and other recreational facilities at his own cost in the Open Air Camp.

(2) The Superintendent shall establish a crèche for children below six years of age in the Open Air Camp.

Internal management of the Open Air Camp.

16. (1) The Director General may issue general instructions for the internal management of the Open Air Camp regarding location of work place, work to be performed by the prisoner and security etc. These instructions shall contain the norms to be followed by the prisoners and their family member.

(2) The prisoners shall attend roll-call each morning and evening at the time fixed for lockup and lockout of the regular prison.

(3) The Superintendent shall visit the Open Air Camp every week at the time of roll-call and shall interview the inmates.

(4) The Officer-in-Charge shall visit the Open Air Camp at the time of roll-call every day and shall be responsible for maintenance of discipline and order.

Prisoners, Panchayat.

17. (1) A prisoners' Panchayat, shall be consisting forward of five members, to be elected amongst the prisoners. The members so elected shall elect from amongst them a Sarpanch. The Panchayat shall be elected on 1st April every year.

(2) The Prisoners' Panchayat shall be empowered to deal with minor acts of omission, commission or misconduct of the prisoners as well as their family member. It may impose fine upto five hundred rupees or order the defaulter to do labour of common utility or curtail facilities available to such defaulter and such penalties shall be effective only on the approval of the Officer-in-Charge.

Shifting of prisoners from Open Air Camp to regular prison.

18. A prisoner whose conduct in the opinion of the Officer-in-Charge is unsatisfactory or who fails to earn his livelihood or who for any other reason is found undesirable, a report of such prisoner shall be forwarded to the Superintendent and on the basis of the report/recommendations received from the regular prison under intimation to the Director General and in future such prisoner shall not be shifted to the Open Air Camp.

Remission.

19. A prisoner shifted to the Open Air Camp shall be entitled to ordinary remissions at the scale of six days per month for his good conduct, discipline and work and shall also be eligible for Government remission or special remissions granted by Superintendent and Director General from time to time, as per the rules. The history tickets and other documents of the prisoner shall be retained and maintained in the regular prisons.

Parole.

20. A prisoner in the Open Air Camp shall be entitled for parole or furlough at par with other prisoners of regular prison, subject to his eligibility. A prisoner may be shifted to regular prison one day prior to his date of release in order to complete the formalities in this regard. His release and surrender on parole or furlough etc. shall be operated and controlled from the regular prison.

Release of prisoner.

21. The date of release of a prisoner shall be calculated by the regular prison authorities and accordingly such prisoner shall be transferred to the regular prison one week prior to the date of his release.

Security.

22. (1) For the purpose of security in the Open Air Camp, such required Warder Guard, as deemed necessary by the Superintendent shall be deputed. CCTV Cameras shall be installed at strategic locations. The duties of the Security Staff shall be changed quarterly. The Security Staff shall perform duties under the control and supervision of the Officer-in-Charge, who shall ensure proper discipline, regular attendance and watch over activities of the prisoners.

(2) The entry of visitors to the Open Air Camp shall be regulated and may be denied for security reasons and in order to maintain discipline. The visitor shall be searched and his credentials shall be verified before allowing him to interview. An Interview–cum-Visitors' register shall be maintained by the security staff and shall follow the rules for the interview as applicable to the regular prison.

(3) A List of all the prisoners of the Open Air Camp, including their family members, along with complete particulars shall be sent to the Police Station having jurisdiction.

(4) An Identity Card shall be issued by the Superintendent to every prisoner of Open Air Camp and their family members and it shall be mandatory for every prisoner and his family members to carry the Identity Card all the time.

23. (1) A prisoner shifted to the Open Air Camp shall be considered to be in the lawful custody and any escape from the Open Air Camp shall amount to the escape from the regular prison and shall be subjected to such legal action as applicable in a regular prison. Escape from Open Air Camp.

(2) The Superintendent shall be at liberty to forfeit all the remissions earned by the escapee prisoner upto the date of escape from the Open Air Camp.

(3) The Superintendent shall also forfeit the surety bond offered by the prisoner at the time of shifting to the Open Air Camp. If the surety amount is not realized, he shall forward the case to the District Magistrate of the concerned district to recover the same as arrears to land revenue.

24. A dispensary shall be established in the Open Air Camp. Medical Officer posted in the regular prison shall visit the Open Air Camp twice a week and shall provide medical aid to the needy prisoners or his family member. A prisoner shall be entitled to receive medicine and other medical facilities at par with the prisoner in the regular prison. In case of medical emergency, the ailing prisoner shall be taken to regular prison hospital or Government hospital and for indoor treatment, the prisoner shall be transferred to regular prison till his recovery. Medical facilities.

25. The Additional Inspector General, Inspector General or Additional Director General, Prisons shall inspect the Open Air Camp in every quarter of the calendar year and submit his report to the Director General. The Director General shall inspect the Open Air Camp atleast once in a calendar year and submit his report to the Government. Inspections.

FORM I

[see rule 7 (1)]

Prisoner nominal roll form for transfer of Prisoner from the Regular Jail to the Open Air Camp

Jail Register Number and Class	Name of the Convict and Age.	Father/ Husband name, Caste, Previous Occupation	Residential Address.	Name of the court by whom convicted and date of sentence.	Offence and period and type of sentence.	Detail of sentence undergone showing under trial period, remission and parole availed.			Conduct in the Jail.	Recommendation by Superintendent Jail.	Recommendation by Director General of Prisons.
						Y	M	D			

Note: Detail of other criminal offences (if any)
Prepared by

Superintendent Medical Officer Deputy Superintendent (Maintenance)

DR. S. S. PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

हरियाणा सरकार
कारागार विभाग
अधिसूचना दिनांक............2018

बन्दियों का चरित्र निर्माण संतोषजनक प्रदर्शन और अनुशासनात्मक जीवन हेतु इन नियमों के गठन की नितान्त आवश्यकता महसूस की गई ताकि बन्दी पूर्व मुक्ति के अवसर पर सके । समाज से समायोजन कर सके आर्थिक रूप से आत्म निर्भर हो सके । हरियाणा सरकार बन्दी अधिनियम 1894 की धारा 59 उपखण्ड 8 तथा 12 मे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अधिनियम 1894 की धारा 9 निम्नलिखित नियमों का गठन किया गया।

(क)–"इन नियमों को "हरियाणा राज्य खुला बन्दी शिविर, नियम 2018" के नाम से जाना जाए।

(ख)–"यह नियम समस्त हरियाणा राज्य मे लागू रहेंगे ।

(ग)–"यह नियम अधिसूचना के प्रकाशित होने उपरान्त प्रभाव मे आयेंगें।

(2)–परिभाषा

(क)–"अधिनियम" कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 9) ;

(ख)–"अतिरिक्त महानिदेशक" अर्थात अतिरिक्त महानिदेशक कारागार हरियाणा;

(ग)–"अतिरिक्त महानिरीक्षक" अर्थात अतिरिक्त महानिरीक्षक कारागार हरियाणा ;

(घ)–"महानिदेशक" अर्थात महानिदेशक कारागार हरियाणा;

(इ)–"शिविर अर्थात कारागार मुक्त शिविर ;

(च)–"जिलाधीश" अर्थात उस जिले के जिलाधीश जहाँ पर कारागार मुक्त शिविर स्थापित किये जाने है ;

(छ)–"परिवार" अर्थात बन्दी का पति/पत्नी , पुत्र पुत्री, दत्तक बच्चे, पिता, माता, भाई, बहन । इसमे दादा, दादी, पौता और पोती भी सम्मलित है ;

(ज)–"सरकार" अर्थात हरियाणा सरकार ;

(झ)–"महानिरीक्षक" अर्थात महानिरीक्षक कारागार हरियाणा ;

(ञ)–"प्रभारी अधिकारी" अर्थात कोई भी अधिकारी जो कि उप–अधीक्षक जेल, सहायक अधीक्षक जेल,उप सहायक अधीक्षक जेल हो जिसे कि अधीक्षक जेल महानिदेशक कारागार द्वारा दैनिक कार्यो के निर्वहन, सुरक्षा और बन्दियों जिनको खुला शिविरों मे रखा गया हो के रक्षण हेतु नियुक्त किया गया हो;

(ट)–"खुला शिविर" से तात्पर्य है कोई भी स्थान जिसे कि कारागार अधिनियम 1894 (केन्दीय अधिनियम 9 की उप धारा 3 के 1) के अर्न्तगत कारावास हेतु प्रयोग किया जा रहा हो और इसमे सभी भूमि व भवन शामिल है ;

(ठ)–"नियमित कारावास" का अर्थ है जिस कारागार के अधिकार क्षेत्र मे खुला शिविर स्थित है और जहाॅ पर बन्दियों को खुला शिविर मे प्रवेश से पूर्व रखा जाएगा ;

(ड)–"अधीक्षक" जेल का अर्थ है नियमित कारागार का अधीक्षक जेल ;

(ढ)–"अधीक्षक हैड्क्वार्टर" का अर्थ है अधीक्षक हैड्क्वार्टर मुख्यालय, हरियाणा कारागार ;

<u>**3. खुला शिविर :**</u> (1)–महानिदेशक की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार नियमित कारागारों की परिधि में खुला कारागार शिविरों को आवश्यकता अनुसार स्थापित कर सकती है जो कि नियमित अधीक्षक जेलों के अधिकार मे रहेगे और उनके दिशा निर्देशो अनुसार कार्य करेगे;

(2)–बन्दियों को खुला शिविर में रखने हेतु आवास, बिजली, पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधायें अधीक्षक जेल द्वारा प्रदान की जावेंगी। खुला सिविर में आवश्यकतानुसार परिवारों सहित रहने हेतु उचित संख्या में आवास उपलब्ध करवार्ये जावेंगे।

(3)–जिस बन्दी को खुला शिविर में रखा जायेगा, वह स्वयं हेतु तथा अपने परिवार हेतु भोजन, वस्त्र तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं द्वारा अर्जित संशाधनों से पूरा करेंगें।

(4)–अधीक्षक जेल बन्दियों को रोजगार ढूढ़ने में सहायता करेंगें।

(5)–अधीक्षक जेल समय–2 पर यह सुनिश्चित करेगा कि खुला शिविर के बन्दियों को रोजगारदाता सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रदान करता है।

(6)–बन्दी अपना बैंक खाता स्वंय द्वारा परिवार के सदस्य द्वारा खुलवाया जायेगा और खुला शिविर में रहते अपने रोजगार से अर्जित आय से उस खाते का संचालन करेगा।

(7)–इसके अतिरिक्त यदि नियमित कारागार या खुला शिविर में अधीक्षक जेल द्वारा कार्य दिया जाता है तो, उन्हें जेल विभाग द्वारा, सरकार द्वारा समय–2 पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की अदायगी की जायेगी।

(8)–बन्दियों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे अपने परिवार के सदस्यों को अपने साथ रखें। कोई भी बन्दी जिसके साथ उसके परिवार का कोई सदस्य रहने को तैयार नहीं है उसे खुला शिविर में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

(9)–बन्दी और उसके परिवार के सदस्य खुला शिविर में साफ–सफाई एंवम स्वच्छता रखेंगे।

(10)–खुला शिविरों में अनुशासन और शांति कायम रखने हेतु अधीक्षक जेल कुछ उचित शर्ते लागू कर सकता है। यह शर्ते एवम दिशा–निर्देश लिखित में जारी किये जायेंगे और उसकी लिखित प्रति खुला शिविर के प्रत्येक बन्दी को उपलब्ध करवाई जायेगी।

4. खुला शिविर में दाखिले हेतु अपात्रता:–

निम्नलिखित बन्दी खुला शिविर में स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे।

(1)–वे बन्दी जो "हरियाणा अच्छा आचरण बन्दी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम 1988 तथा उसमें समय–2 पर किये गये संशोधनों के अर्न्तगत "कट्टर बन्दी" की श्रेणी में आते हों।

(2)–खुला शिविर में दाखिले के समय जिस बन्दी की आयु 30 वर्ष से कम हो।

(3)–वे बन्दी जो कठोर कार्य करने में चिकित्सीय दृष्टि से सक्षम ना हों।

(4)–कोई भी विचाराधीन, नजरबन्द या दीवानी बन्दी।

(5)–जो बन्दी एक से अधिक मामले में चार्ज शीट हुआ हो या सजायाब हुआ हो।

(6)–खुला शिविर में दाखिले की तिथि को जिस बन्दी की सजा की अवधि दो वर्ष से अधिक शेष हो।

(7)–जो बन्दी पिछले तीन वर्षो में कभी गुरूदण्ड से दण्डित किया गया हो।

(8)–जो बन्दी हरियाणा का स्थाई निवासी नहीं है और जिस बन्दी के परिवार के सदस्यों का हरियाणा में स्थाई निवास ना हो।

(9)–जिस बन्दी से 6 मास में उसके परिवार का कोई सदस्य मुलाकात करने ना आया हो।

(10)–जो बन्दी पिछले 5 वर्षो में पैरोल या फर्लो पर रिहा ना हुआ हो।

(11)–जिस बन्दी द्वारा जेल से, पुलिस हिरासत से या अन्य किसी वैधानिक हिरासत से फरार हुआ हो।

(12)–बन्दी जिसका परिवार ना हो।

(13)–बन्दी जिसे हरियाणा राज्य से बाहर के किसी न्यायाल द्वारा सजा दी गई हो या जिसे किसी फौजी अदालत द्वारा सजा दी गई हो।

(14)–जिस बन्दी को किसी राजनितिक आन्दोलन या राजनितिक कारणों से सजायाब किया गया हो।

(15)–जो बन्दी टाडा एक्ट, देह व्यपार, एन.ड़ी.पी.एस एक्ट, या देशद्रोह की गतिविधियों में सजायाब हुआ हो।

(16)–जो बन्दी किसी भी छूत या संकमण फैलाने वाली बिमारी से ग्रस्त हो या मानसिक रोगी हो।

(17)–कोई भी बन्दी जो अधीक्षक जेल की दृष्टि में किसी भी कारण से खुला शिविर में स्थानांतरण के योग्य ना हो।

5–<u>खुला शिविर में दाखिला हेतु पात्रता :</u>

कोई भी बन्दी खुला शिविर में बदली हेतु पात्र हो सकता है यदिः–

(1)–वह उपर वर्णित नियम 4 की किसी श्रेणी में ना आता हो।

(2)–उसने अपनी सजा का तीन चौथाई हिस्सा माफी सहित पूरा कर लिया हो। आजीवन कारावास का अर्थ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 57 के अन्तर्गत 20 वर्ष का कारावास है।

(3)–वह अपनी दी गई मुश्शक्कत का कार्य जेल कार्यशाला में या बाहरी पंजे में या किसी अन्य जेल सेवा के कार्य को नियमित रूप से व संतोषजनक ढग से करता रहा हो।

(4)–उसे पिछले तीन वर्षो के दौरान किसी गुरुदण्ड के लिए कोई सजा ना दी गई हो।

6–<u>बन्दियों को खुला शिविर में भेजने हेतु सिफारिश :–</u> अधीक्षक जेल ऐसे पात्र एवम् इच्छुक बन्दियों को खुला शिविर में दाखिले हेतु संबंधित जेल के अधीक्षक जेल, चिकित्सा अधिकारी एवम् उप अधीक्षक प्रशासन की कमेटी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर बन्दियों के प्रार्थना पत्र तथा नामिनल

रोल सहित केस बनाकर महानिदेशक कारागार को अपनी सिफारिश सहित भेजेगा।

7. <u>**बन्दियों को खुला शिविर में भेजने के आदेश :-**</u> (1)-अधीक्षक जेलों द्वारा खुला शिविर में बन्दियों को स्थानांतरण हेतु भेजी गई सूचियों में से योग्य बन्दियों की छंटनी हेतु महानिदेशक कारागार मुख्यालय स्तर पर अधीक्षक हैड क्वार्टर या अपर महानिरीक्षक या महानिरीक्षक या अपर महानिदेशक या किसी अन्य अधिकारी सहित एक तीन सदस्यीय छंटनी कमेटी बनायेगा।

(2)-छंटनी कमेटी की अनुशंसा पर तथा समय-समय पर खुला शिविर में रिहायश की उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए महानिदेशक योग्य बन्दियों के स्थानांतरण के आदेश पारित करेगा।

(3)-उन कैदियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो कारीगर, नाई, दर्जी, शिल्पकार, चिकित्सक, परिचिकित्सक या सूचना एवम् प्रौद्योगिकी पेशेवर आदि हैं या किसी भी क्षेत्र में कुछ कौशल या विशेषज्ञता रखते हों। पुराने कैदी को नये कैदी की अपेक्षा वरीयता दी जाएगी।

(4)-महानिदेशक कारागार को किसी भी कैदी को किसी भी खुला शिविर में विशेष अधिकार होगा और वह किसी भी कैदी को एक खुला शिविर से दूसरे खुला शिविर में स्थानांतरित कर सकता है।

(5)-खुला शिविर में प्रवेश के लिए चुने गए प्रत्येक कैदी को "हरियाणा अच्छा आचरण बन्दी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम 1988 में प्रावधान की गई राशि के बराबर एक जमानत पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह जमानत पत्र नियमित जेल के अधीक्षक द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

<u>8.खुला शिविर मे कार्यः-</u>

(1)-कैदी नीचे दिए गए उपखण्ड में किये गए प्रावधान के अनुसार अपनी आजिविका अर्जित करेंगे :

(2)-बन्दी एक या एक से अधिक कार्य कर सकेंगे जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है :-

(क)-कृषि;

(ख)-पशु पालन;

(ग)-उत्पादन या औद्योगिक कार्य;

(घ)-सूचना प्रौद्योगिकी या सेवा कार्य;

(ड)–निर्माण या मरम्मत आदि का कार्य;

(च)–बाहरी कैन्टीन के संचालन या जेल विभाग द्वारा बाहर खोली गई दुकानों को चलाना;

(छ)–इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य कार्य जिसकी अनुमति समय समय पर अधीक्षक या महानिदेशक कारागार द्वारा प्रदान की जायेगी।

(3)–यदि बन्दी के पास खुला शिविर में करने हेतु कोई कार्य नहीं है तो उसे नियमित जेल के अधीक्षक द्वारा शिविर के बाहर 15 किलोमीटर की परिधि में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।

बशर्ते कि बन्दी जो शिविर के बाहर कार्य करेगा उसे कार्य करने का स्थान, कार्य की प्रकृति, काम देने वाले मालिक का विवरण आदि खुला शिविर के इन्चार्ज को देना होगा।

बशर्ते जेल अधिकारी (प्रशासन) बन्दियों के कार्य स्थल का अचानक निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होंगें यदि निरीक्षण के दौरान बन्दी अपने कार्य स्थल पर नहीं पाया जाता है तो उसे खुला शिविर से नियमित कारागार में वापिस भेजा जा सकता है और इसके अतिरिक्त जेल मेनुअल में दिये गये प्रावधानों के अनुसार एक मुख्य अपराध माना जाएगा।

(4)–महानिदेशक कारागार द्वारा बन्दियों को खुला शिविर के बाहर आयोजित मेले/त्योहारों पर जेल में बनी वस्तुओं की बिकी की अनुमति दी जा सकती है।

9. कार्य का समय :– बन्दियों के कार्य करने का समय नियमित कारागार के नियमानुसार गिनती खुलने के समय से गिनती बन्द होने के समय के बीच होगा।

10. भत्ते/आय:– (1)–बन्दी द्वारा अर्जित की जाने वाली आय का उपयोग बन्दी स्वयं के लिए तथा अपने परिवार के रखरखाव के लिए कर सकता है। बन्दी स्वयं के लिए भोजन एवं वस्त्र का खर्च स्वयं करेंगे। वे खुला शिविर द्वारा निर्धारित बिजली, पानी व सीवर आदि के खर्चों की अदायगी भी करेंगें।

(2)–खुला शिविर के रखरखाव के लिए निर्धारित शुल्क जो कि महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया गया हो प्रत्येक बन्दी से उनकी आय से वसूल किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए अलग से कोष बनाया जायेगा और इसे बन्दियों द्वारा स्वंय चलाया जायेगा।

(3)–खुला शिविर में बदले गए बन्दियों को कार्य प्रदान करने के लिए सरकारी संगठनों या पंजीकृत/गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

11. बन्दी का परिवार :- (1)-बन्दियों को अपने परिवारिक सदस्यों के बिना खुला शिविर में रहने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

(2)-बन्दी के परिवारिक सदस्य जो बन्दी के साथ खुला शिविर में रहने के इच्छुक हैं उन्हें सहमति के रूप में नोटरी या फर्स्ट कलास मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना होगा, खुला शिविर के इन्चार्ज/अधीक्षक द्वारा समय-समय पर शिविर में अनुशासन बनाए रखने हेतु जारी किये गए सभी आदेशों एंव दिशा-निर्देशों की पालना करेंगें।

(3)-अधीक्षक की राय में खुला शिविर में रहते हुए यदि परिवार के सदस्यों द्वारा कदाचार किया जाता है तो प्रभारी अधिकारी की सिफारिश प्राप्त करते हुए उसे खुला शिविर से तुरन्त वापिस भेज दिया जायेगा। बन्दी को भी खुला शिविर से नियमित जेल में तुरन्त स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

12.मनोरंजन की सुविधाएँ:- बन्दियों को शिविर में उनके अपने खर्चे पर टी0वी0, खेलकूद और अन्य मनोरंजन की सुविधाओं की अनुमति दी जा सकती है।किंतु 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए शिविर में अधीक्षक द्वारा शिशुसदन स्थापित करवाया जायेगा।

13.शिविर का आन्तरिक प्रबन्धन:- (1)-समय-समय पर शिविर के आन्तरिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए बन्दी के कार्य करने का स्थान, बन्दी द्वारा किये जाने वाले कार्य और सुरक्षा आदि के विषय मे समय-2 पर महानिदेशक कारागार द्वारा सामान्य हिदायतें जारी की जायेंगी। यह सामान्य हिदायतें शिविर में बन्दियों एंव बन्दियों के परिवारिक सदस्यों को शिविर में रहते हुये दैनिक दिनचर्या में क्या करना चाहिये क्या नहीं करना चाहिये बारे में हिदायतें जारी की जायेगी।

(2)-बन्दियों को नियमित कारागार की तर्ज पर प्रातः की गिनती खुलने और सांय की गिनती बन्द होने के समय हाजिरी में शामिल होना होगा।

(3)-अधीक्षक प्रति सप्ताह शिविर में प्रातः या सांय की हाजिरी के समय दौरा करेगा और बन्दियों का साक्षात्कार भी करेगा।

(4)-शिविर का प्रभारी भी प्रतिदिन हाजिरी के समय शिविर का दौरा करेगा। वह शिविर में अनुशासन और व्यवस्था के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

14.बन्दी पंचायत :- (1)-शिविर में एक बन्दी पंचायत होगी, जिसमें पॉच सदस्य होंगे, जिनका चुनाव शिविर में रह रहे बन्दियों द्वारा ही किया जायेगा और यही पॉच सदस्य मिलकर एक सरपंच का चुनाव करेंगे। पंचायत का चुनाव प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल को किया जाएगा ।

(2)-बन्दी पंचायत को शिविर में रह रहे बन्दी एवं उनके परिवारिक सदस्यों से किसी प्रकार की कोई भूल-चूक या कदाचार जैसे छोटे-छोटे कृत्यों के निबटान का अधिकार होगा जिसके लिए 500/- रू तक का जुर्माना या दोषी को शिविर के रख रखाव के लिये आवश्यक श्रम या बन्दी की सुविधाओं में कटौती की सजा दे सकती है। ऐसी सभी सजाएँ शिविर प्रभारी के अनुमोदन से प्रभाव में आयेंगी।

15.कैदियों का शिविर से नियमित कारागार मे स्थानान्तरण :- शिविर प्रभारी/अधीक्षक की राय में जो बन्दी दुर्व्यवहार करता हैं या शिविर में आजीविका कमाने में विफल रहता हैं या शिविर में कोई कार्य नहीं करता या अन्य किसी कारण से शिविर में अवांछनीय पाया जाता है, तो अधीक्षक द्वारा उसे वापिस नियमित जेल में भेजा जा सकता हैं।ऐसे बदली आदेश से पूर्व अधीक्षक, शिविर के प्रभारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/सिफारिश पर विचार करेगा। इस संबंध में सूचना महानिदेशक को भेजी जायेगी।

थ्जस बन्दी को नियमित कारागार में स्थानान्तरित किया गया है उसे शिविर में पुनः प्रवेश के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

16. माफीः- शिविर में बन्द बन्दी अपने अच्छे व्यवहार, अनुशासन और कार्य के लिए महीने में 6 दिन की सामान्य छूट के पात्र होंगें। वे समय-समय पर सरकार, अधीक्षक और महानिदेशक कारागार द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट या विशेष छूट के भी पात्र होंगें। बन्दियों की हिस्ट्री टिकट और अन्य दस्तावेजों की नियमित कारागार द्वारा रखरखाव तथा संभाल की जाएगी।

17. पैराल/फर्लो :- शिविर में बन्द बन्दी भी सामान्य बन्दी जिन्हे नियमित कारागार मे रखा गया है, की तरह ही पैरोल/फरलो के पात्र होंगे। पैरोल-फर्लो पर रिहाई से सम्बन्धित औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु रिहाई से एक दिन पूर्व बन्दी को नियमित कारागार में स्थानान्तरित किया जा सकता है। बन्दियों की पैरोल/फर्लो रिहाई तथा रिहाई उपरांत जेल में वापिसी तक का पूर्ण कार्य नियमित कारागार द्वारा ही संचालित एंव नियंत्रित किया जायेगा।

18. बन्दियों की रिहाई :- शिविर में रिहाई की तारीख की गणना नियमित कारागार प्रशासन द्वारा ही की जायेगी और तदानुसार सम्बन्धित बन्दी को जरुरी औपचारिकतायें पूरी करने के लिये रिहाई की तारीख से एक सप्ताह पहले नियमित कारागार मे स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

19. सुरक्षा एंव निगरानी :- शिविर में बन्दियों की सुरक्षा एंव निगरानी के उदेश्य से अधीक्षक आवश्यक सुरक्षा स्टाफ की नियुक्ती कर सकता है। शिविर में चुनिन्दा स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये जायेंगे। सुरक्षा स्टाफ की डियुटीयॉं अधीक्षक जेल द्वारा त्रैमासिक आधार पर बदली जायेंगी। सुरक्षा

स्टाफ/कर्मचारी, शिविर प्रभारी के अधीन तथा नियंत्रण में कार्य करेगा। शिविर प्रभारी, शिविर में उचित अनुशासन, नियमित हाजिरी तथा बन्दियों द्वारा की जा रही गतिविधियों पर निगरानी रखना सुनिश्चित करेगा।

(2)- शिविर में बन्दियों को बाहर से मिलने के लिये आने वाले लोगों पर भी निगरानी रखने की व्यवस्था की जायेगी। शिविर में बाहर से आने वाले लोगों पर भी नियंत्रण रखा जायेगा और शिविर में अनुशासन व्यवस्था स्थापित करने के लिये सुरक्षा स्टाफ द्वारा शिविर में प्रवेश के लिये मना किया जा सकता हैं। शिविर में बन्द बन्दियों से मुलाकात पर आने वाले बाहरी व्यक्ति की जॉच की जायेगी और साक्षात्कार से पूर्व उनके परिचय पत्र व दस्तावेजों की जांच की जायेगी। सुरक्षा स्टाफ द्वारा एक साक्षात्कार कम आगुन्तक रजिस्टर भी रखा जायेगा। साक्षात्कार के नियम नियमित कारागार के सामान ही लागू रहेंगे।

(3)-शिविर में रहने वाले सभी बन्दियों, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों का भी पूर्ण विवरण होगा की सूची क्षेत्र के सम्बन्धित थानाध्यक्ष को भेजी जायेगी।

(4)-अधीक्षक द्वारा प्रत्येक बन्दी व उसके परिवारजनों को पहचान पत्र जारी किये जायेंगे, जिसे उन द्वारा हर समय अपने पास रखना अनिवार्य होगा।

<u>20. शिविर से भगोडे हो जाना :-</u> शिविर में रह रहे बन्दी को वैध हिरासत माना जायेगा और शिविर से किसी भी प्रकार की फरारी को नियमित कारागार की हिरासत से फरारी के समान ही माना जायेगा तथा शिविर से भागने वाले बन्दी पर वही कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जो नियमित कारागार से भागने वाले बन्दी पर की जाती है।

(2)-अधीक्षक को, शिविर से भागने वाले बन्दी द्वारा भगने की तिथि तक अर्जित की गई समस्त माफी को उतारने करने का पूर्ण अधिकार होगा।
(3)- अधीक्षक को शिविर में स्थानांतरण के समय बन्दी द्वारा दिये गये जमानत पत्र में दी गई प्रति पूर्ति राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, यदि वह भागने का प्रयास करने वाले बन्दी के जमानत पत्र में दी गई राशि को जब्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि की राजस्व वसूली हेतु मामला जिलाधीश को भेजेगा।
<u>21. चिकित्सा सुविधा :-</u> शिविर में एक डिस्पैंसरी की स्थापना की जायेगी। नियमित कारागार में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी सप्ताह में एक या दो बार शिविर का दौरा करेगा तथा जरूरतमंद बन्दियों या उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायेगा। शिविर में बन्द बन्दी नियमित जेल में बन्द बन्दियों के सामान दवाईयों और दूसरी चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे। चिकित्सा आपातकालीन स्थिति में बीमार बन्दी को नियमित कारागार के हस्पताल या सरकारी हस्पताल में आवश्यक उपचार के लिये ले जाया जायेगा। नियमित उपचार के लिये बन्दी को नियमित कारागार में स्थानांतरित किया जा सकता है। उपचार उपरान्त बन्दी को शिविर में स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

22. निरीक्षण :– अतिरिक्त महानिरीक्षक या महानिरीक्षक या अतिरिक्त महानिदेशक कारागार शिविर का त्रैमासिक निरीक्षण करेगे और अपनी रिपोर्ट महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगा। महानिदेशक वर्ष में एक बार शिविर का निरीक्षण करेंगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा।

23. कानून व नियम पालन :– इन नियमो के निहित कुछ भी होने के बावजूद, जैसा कि जेल अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 1894 की धारा 9) के प्रवधानों और हरियाणा राज्य में लागू पंजाब जेल मैनुअल के प्रावधानों/नियमों में भी यथोचित सहित शिविरों में रहने वाले बन्दियों पर भी लागू रहेगे ।

24. सरकार के अधिकार/शक्तियॉ :– इन नियमो के निहित कुछ भी होने के बाबजूद सरकार को किसी भी शिविर को बन्द करने/खोलने की पूर्ण शक्तियॉ होंगी। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करते हुये उपरोक्त किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है या हटा सकती है।